

न्यायालय:-द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड)

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक /05/2017

Filing No. CRR/314/2017

संस्थित दिनांक- 09.02.2017

सी.एन.आर.नं.-एम.पी.5005.000545.2017

अजाबसिंह मरावी पिता साधूराम मरावी उम्र 34 वर्ष
जाति सोनझरिया, निवासी ग्राम कटंगटोला (टेंगनी)
थाना व तहसील किरनापुर जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — **पुनरीक्षणकर्ता**

// **विरुद्ध** //

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा
बालाघाट — — — **गैरपुनरीक्षणकर्ता**

न्यायालय: श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
बालाघाट दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 96/2016 शासन बनाम अजाब सिंह में
पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध विरचित आरोप दिनांक 11.01.2017 से व्यथित
होकर यह पुनरीक्षण याचिका पेश की है।

श्री हृदेश आर. दुवे, अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता।
श्री अभिजीत बापट अपर लोक अभियोजक वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्ता।

— // // **आदेश** // // —

(आज दिनांक **08 दिसम्बर 2017** को पारित)

1— पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण धारा 397 द0प्र0सं0 के अंधीन
न्यायालय श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा
आपराधिक प्रकरण क्रमांक 96/16 में पुनरीक्षणकर्ता अजाबसिंह ने धारा 279, 337,
338 भा0द0वि0 और धारा 3/18, 146/196, 128/177 मोटरयान अधिनियम के
अंधीन विरचित अपराध विवरण के विरुद्ध पेश की है।

2— पुनरीक्षण का सार यह है कि घटना दिनांक 26.12.2015 को
पुनरीक्षणकर्ता अपनी मोटरसाईकल से ग्राम कचनारी से जा रहा था। ग्राम कचनारी

के बाजार चौक में पिक अप वाहन ने पुनरीक्षणकर्ता की मोटरसाईकल एवं साईकल से जा रहे बलवन कावरे की साईकल से ठोस मार दी। जिससे पुनरीक्षणकर्ता के गंगू उईके, लिक्खन सदेश्वर एवं सुकुल कावरे को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा ले जाया गया, जहां चिकित्सक से थाना प्रभारी को सूचना प्रेषित की के आधार पर प्रथम सूचना क्रमांक 134/15 दर्ज की गई है जिसमें पिकअप वाहन द्वारा दुर्घटना कारित किये जाने का उल्लेख है। इसलिए विरचित आरोप अपास्त किये जाने योग्य है। अज्ञात पिकअप वाहन के चालक से साठ-गांठ कर झूठा प्रकरण पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध बनाया गया है, न्यायिक त्रुटि की गई है। पुनरीक्षण स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्ता से उन्मोचित किये जाने की याचना की है।

3- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध अपराध विवरण अभिलेख के आधार पर तैयार कर विधि की त्रुटि किये जाने से हस्तक्षेप योग्य है।

4- उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5- धारा-3, 9, 7 दं०प्र०सं० की उपधारा 2 के अनुसार अंतर्वर्ती प्रकृति के आदेश जो किसी अपील, जांच के विचारण या अन्य कार्यवाही के संबंध में हो के संबंध में उपधारा (1) के प्रावधान के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती लेख है, वस्तुतः मूल अभिलेख के आधार पर विचारण न्यायालय ने आरोप की विरचना नहीं की है। अभिलेख के आधार पर अपराध विवरण तैयार कर विशिष्टियां सुनाई गई हैं। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आरोप के विरुद्ध रिविजन सुनवाई योग्य है। कुलदीप सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ म०प्र० 1989 किमिनल लॉ जनरल (एन.ओ.सी.) 153 पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध आरोप की विरचना नहीं है, अपितु अपराध की विशिष्टियां लेख की गई हैं।

6- पुनरीक्षण में उठाया गया आधार साक्ष्य उपरांत गुणदोष निराकृत किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर सहअभियुक्त अशोक कुमरे ने धारा 5/180 एवं धारा 146/196 का अपराध विवरण धारा 260 द०प्र०सं० के अधीन प्रारूप में सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा तैयार, सुनाये, समझाये

जाने पर सहअभियुक्त अशोक ने दिनांक 05.02.2016 को अपराध स्वीकार किया है जिसके आधार पर उसे दण्डित किया गया है। अपराध स्वीकारकर्ता अभियुक्त वाहन स्वामी है जिसने दुर्घटना समय अपना वाहन इस पुनरीक्षणकर्ता से चलवाया था।

7— उक्त दोनों धाराओं पर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

8— आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर भेजी जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही /—
(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही /—
(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर